<u>न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील एल0आर0ए0 संख्या 217 / 2020 कैम्प टोंक

जयनारायण पुत्र मेवा जाति गूजर निवासी ग्राम महासिंहपुरा, तहसील निवाई जिला टोंक।
—अपीलांट

बनाम्

सरकार जरिये प्रभारी अधिकारी(राजस्व) कलेक्ट्रेट, टोंक।
—रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक दिनांक 07.07.1999 मिसल संख्या 24 / 97 उनवानी सरकार बनाम जयनारायण ।

उपस्थित अभिभाषकः—श्री सीताराम विजय(अपीलांट अभि0)
राजकीय अभिभाषकः—अनुपस्थित

<u>निर्णय</u> दिनांकः—17.02.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपीलांट जयनारायण पुत्र मेवा गूजर निवासी ग्राम महासिंहपुरा तहसील निवाई को दिनांक 25.06.1989 को कुल 9 बीघा 8 बिस्वा भूमि ग्राम सुरज का खेड़ा में कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी। अवैधानिक आवंटन को दिनांक 23.07.1990 के द्वारा जिला कलक्टर टोंक द्वारा निरस्त कर दिया गया था। जिसकी अपील आवंटी द्वारा आरएए अजमेर में की गई थी। जिसे दिनांक 27.06.1992 को उनके द्वारा स्वीकार कर प्रकरण को पुनः जिला कलक्टर न्यायालय को सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया। इस पर प्रकरण संख्या 45 / 1993 दर्ज बाद सुनवाई जिला कलक्टर टोंक द्वारा फ्रॉड एवं मिसरिप्रेंजेंटेशन के आधार पर उक्त आवंटन दिनांक 02.04.1996 को निरस्त कर दिया गया। क्योकिं जयनारायण द्वारा अपने आवंटन हेतु पूर्व में उपलब्ध भूमि को छुपाया गया था तथा वह न सुरज का खेड़ा का रहने वाला था ना ही आवंटित भूमि वाली पंचायत सुनारा का रहने वाला था बल्कि वह अन्य ग्राम पंचायत चनानी का रहने वाला था। जिला कलक्टर टोंक के उक्त निर्णय की अपील आरएए टोंक न्यायालय में आवंटी द्वारा की गई जिसे 37 / 96 नम्बर पर दर्ज किया गया। जिसे बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 29.07.1997 से अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर टोंक के निर्णय को खारिज करते हुए पत्रावली पुनः निर्णय हेतु जिला कलक्टर टोंक को भिजवा दी गई। जिला कलक्टर टोंक द्वारा पुनः प्रकरण संख्या 24 / 97 अपने निर्णय दिनांक 07.07.1999 से विवादित आवंटन को खारिज कर दिया गया। जिला कलक्टर टोंक के निर्णय दिनांक 07.07.1999 के विरूद्ध अपील न्यायालय आरएए टोंक में की गई। जिसकों उन्होने अदम हाजरी एवं अदम पैरवी के आधार पर दिनांक 17.03.2003 को खारिज कर दिया। उक्त खारिज की गई अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु आवंटी बाबत बाद दायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 16.02.2005 को स्वीकार कर दिया। आरएए टोंक के निर्णय दिनांक 17.07.2003 एवं 16.02.2005 के विरूद्ध द्वितीय अपील आवंटी द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में की गई। जिसे उनके द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः आरएए टोंक को रिमाण्ड कर दिया गया। इस पर आरएए न्यायालय टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 1 / 2017 दर्ज कर सुनवाई आरम्भ की। दिनांक 27.01.2020 को राजस्व ग्रुप—6 अधीसूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 16:22:25 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 17.10.2019 के संदर्भ में पत्रावली न्यायालय हाजा को सुनवाई हेतु प्राप्त हुई है। इसे क्रम संख्या 2017/2020 पर दर्ज कर सुनवाई आरम्भ की गई।

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि हमारे विरूद्ध धारा 14(4) की कार्यवाही की गई थी। उस कार्यवाही के अंदर जांच रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। जिसमें आवंटन निरस्तीकरण की अनुशंषा की गई है। मगर ऐसी कोई जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत नही की गई है। शिकायत की जांच हमारे सामने नहीं की गई है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना नहीं की गई है। आवंटन दिनांक 25.06.89 का है तथा आवंटन को दिनांक 07.07.89 में निरस्त किया गया है। वकील अपीलांट के द्वारा आरआरटी 2007 पेज 123 का हवाला दिया गया है।

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यो का अवलोकन किया गया। प्रकरण संख्या 24/97 निर्णय दिनांक 07.07.99 द्वारा जिला कलक्टर टोंक का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को मियाद अवधि के संदर्भ में देखा गया। अपीलाधीन आदेश द्वारा जिला कलक्टर टोंक दिनांक 07.07.99 का है और दिनांक 14.09.1999 को अपीलांट द्वारा अपील तत्समय न्यायालय आरएए टोंक में प्रस्तुत कर दी गई थी। अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिला कलक्टर टोंक का ऑपरेटिव हिस्सा निम्नानुसार है–''हमने उभयपक्षी बहस पर मनन किया है तथा पत्रावली का अवलोकन किया है। ग्राम सुरज का खेड़ा में पहले भंग कृषि सहकारी समिति को भूमि जो करीब 297 बीघा थी का आवंटन दिनांक 25.06.89 को किया गया था। इन आवंटनों की शिकायतों के संदर्भ में अतिरिक्त जिला कलक्टर से जांच करवायी गई। जांच पर आवंटन में अनियमितता पायी जाने पर आवंटन निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी राजस्व कलेक्ट्रेट टोंक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब तक समस्त आवंटनों को निरस्त किया है। एक भी प्रकरण में आवंटन को बहाल नहीं रखा गया है। अतः यह आवंटन भी निरस्त योग्य है। अधीनस्थ पत्रावली पर उपलब्ध जिला कलक्टर टोंक द्वारा प्रेषित नोटिस जो जयनारायण को भेजा गया था, का अवलोकन किया गया। उक्त नोटिस के अनुसार जयनारायण पिता मेवा गुर्जर महासिंहपुरा को ग्राम सुरज का खेड़ा तहसील निवाई में आराजी खसरा नम्बर 268(रकबा 4 बीघा 3) खसरा नम्बर 5 (2 बीघा 1 बिस्वा), खसरा नम्बर 9(1 बीघा 4 बिस्वा), खसरा नम्बर 63/345(2 बीघा) कुल खसरा नम्बर 4 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा भूमि उसे आवंटित की गई थी। यह भी बताया कि आवंटी एवं उसके संयुक्त परिवार के खाते में आवंटन तिथि को पूर्व से ही 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि उपलब्ध थी। जबकि उसनें आवंटन के आवेदन पत्र में कॉलम नम्बर 2 में इस संबंध मे कोई उल्लेख नही किया है। अतः इसे रिक्त छोड़ रखा है। इस प्रकार उसने तथ्यों को छुपाकर गलत प्रकार से आवंटन प्राप्त किया है। अतः यह आवंटन निरस्त ही माना है। आवंटी को सुरज का खेड़ा जहां भूमि स्थित है का निवासी नहीं है। ना ही ग्राम पंचायत सुनारा का निवासी है। ग्राम पंचायत व तहसील क्षेत्र के बाहर का निवासी है। इसलिए इसका आवंटन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 101(4) के प्रावधान के विपरित है। उक्त नोटिस दिनांक 18.09.89 को प्रभारी अधिकारी राजस्व प्रकोष्ट टोंक द्वारा जारी किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:22:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय मेरिट के आधार पर पत्रावली का अवलोकन करना उचित समझता है। अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह कहा गया है कि किसी अनियमितता या गलती की वजह से उनका आवंटन निरस्त किया गया है। प्रभारी अधिकारी राजस्व कलेक्ट्रेट टोंक के नोटिस दिनांक 18.09.89 से यह पता लगता है कि आवंटी द्वारा जो आवेदन पत्र आवंटन के समय भरा गया था। उसके और उसकी परिवार की पूर्व में धारित भूमि का कोई

तथ्य नहीं बताये गये थे। साथ ही वह सुरज का खेड़ा ग्राम का निवासी भी नही था। ना ही ग्राम पंचायत सुनारा क्षेत्र का निवासी था। उसने तथ्य छिपाकर आवंटन प्राप्त किया है। ऐसे आवंटन को नियम 14(4) में कभी भी निरस्त किया जा सकता है। जिला कलक्टर टोंक द्वारा अपने निर्णय में कोई भूल नहीं की है।

समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा तथ्यों को छिपाकर आवंटन प्राप्त किया गया था। ऐसा आवंटन 1970 के नियम 14(4) के तहत कभी भी किसी स्टेज पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिला कलक्टर इसके लिए सक्षम अधिकारिता रखते है। वे किसी भी समय इस प्रकार प्राप्त किये आवंटन को निरस्त कर सकते है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिला कलक्टर टोंक प्रकरण संख्या 24/97 उनवानी सरकार जरिये प्रभारी अधिकारी राजस्व कलेक्ट्रेट टोंक बनाम जयनारायण पुत्र मेवा गुर्जर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 25.06.89 निर्णय दिनांक 07.07.99 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:22:25 IST
Reason: SelfAttested